पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1903
दिनांक-07.08.2025

जोन- उत्तरी/ थाना- मडियांव

- **नाबालिग पीडिता को बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक शोषण करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 17.07.2025 को आवेदिका द्वारा प्रार्थना पत्र बावत आरोपी वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने तथा शारीरिक शोषण करने तथा सुहेल की चाची निशा व सुहेल की मां द्वारा भगाने में सहयोग करने तथा जान से मारने की धमकी देने सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर तत्काल मु0अ0सं0- 421/2025 धारा 65(1)/137(2)/87/351(2) बीएनएस व ¾ पोक्सो एक्ट बनाम 1. सुहेल पुत्र सलीम आदि 03 नफर के पंजीकृत किया गया।

दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में मुकदमा उपरोक्त में नामित आरोपीगण 1. सुहेल पुत्र सलीम आदि 03 नफर की नामजदगी गलत पाई गयी तथा भानू कुमार यादव पुत्र गंगा राम यादव निवासी नेवादा थाना इटौजा लखनऊ का नाम प्रकाश में आया एवं धारा 351(2) बीएनएस का अपराध का साक्ष्य न पाये जाने पर धारा 351(2) बीएनएस का लोप किया गया।

दिनांक 06.08.2025 को थाना मडियांव की पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित/ अभियुक्तगण की तलाश में भिठौली तिराहे पर मामूर थी कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 भानू कुमार अपना श्री व्हिलर टैम्पो नं0 UP32 YN 8434 से बी0के0टी की ओर से मडियांव की तरफ आ रहा है यदि जल्दी किया तो पकडा जा सकता है। मुखबिरखास की सूचना पर मुखबिरखास द्वारा बताये गये व्यक्ति को हिकमत अमली का प्रयोग करते हुए पकड़ लिया गया।

पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम भानू कुमार पुत्र गंगाराम यादव निवासी नेवादा पोस्ट वाहरगांव थाना इंटौजा उम्र करीब 23 वर्ष बताया । जिसके पास से एक अदद मोबाइल रियल मी तथा घटना में प्रयुक्त श्री व्लीहर टैम्पू नं0- UP32 YN 8434 बरामद हुआ। जिसे कारण गिरफ्तारी जुर्म व जुर्म धारा 421/25 धारा 65(1)137(2)/87 बीएनएस व ¾ पोक्सो एक्ट से अवगत कराते हुए समय करीब 20.16 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीडिता को बहला फुसला कर भगा ले जाना तथा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. भानू कुमार पुत्र गंगाराम यादव निवासी नेवादा पोस्ट वाहरगांव थाना इंटौजा उम्र करीब 23 वर्ष (व्यवसाय- आटो चालक)

04-बरामदगीः-

1. घटना में प्रयुक्त श्री व्लीहर टैम्पू नं0- UP32 YN 8434
2. 01 अदद मोबाइल रियल मी

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री मो0 माजिद फारुकी
2. उ0नि0 श्री मु0 रफअतउल्लाह
3. म0आ0 पुष्पा सिंह

02-अपराध का उद्देश्यः-

अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीडिता को बहला फुसला कर भगा ले जाना तथा उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. भानू कुमार पुत्र गंगाराम यादव निवासी नेवादा पोस्ट वाहरगांव थाना इंटौजा उम्र करीब 23 वर्ष (व्यवसाय- आटो चालक)

04-बरामदगीः-

1. घटना में प्रयुक्त श्री व्लीहर टैम्पू नं0- UP32 YN 8434
2. 01 अदद मोबाइल रियल मी

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. व0उ0नि0 श्री मो0 माजिद फारुकी
2. उ0नि0 श्री मु0 रफअतउल्लाह
3. म0आ0 पुष्पा सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1904
दिनांक-07.08.2025

जोन- उत्तरी /थाना-माल

- **01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण:-

मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट वाद सं0- 773/2025 धारा – 126/135 बीएनएसएस थाना माल लखनऊ तारीख पेशी- 07.08.2025 न्यायालय सहायक पुलिस आयुक्त/कार्यपालक मजिस्ट्रेट मलिहाबाद लखनऊ से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र स्व0 शिवली उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम गद्दीनखेड़ा मजरा भनौरा थाना माल जनपद लखनऊ से आज दिनांक 07.08.2025 को गिरफ्तार किया गया, थाना स्थानीय से अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का विवरण-

1. राकेश कुमार पुत्र स्व0 शिवली उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम गद्दीनखेड़ा मजरा भनौरा थाना माल जनपद लखनऊ

03-सम्बन्धित वाद/अभियोग-

1. वाद सं0- 773/2025 धारा – 126/135 बीएनएसएस थाना माल लखनऊ

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना माल जनपद लखनऊ

1. उ0 नि0 श्री प्रिंस कुमार
2. उ0नि0 अमरपाल साहू

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1901
दिनांक 07.08.2025

जोन-उत्तरी/ थाना –रहीमाबाद

- **लाइसेन्सी रिवाल्वर चोरी करने वाले 01 नफर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी की 01 अदद लाइसेन्सी रिवाल्वर,05 अदद जिन्दा कारतूस व 6600/- रुपये नगद बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 07.08.2025 को थाना रहीमाबाद पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 127/2025 धारा 305(A) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त की पतारसी सुरागरसी के क्रम में गहदो बाजार में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त खगेश्वर खेड़ा उमरावल तिराहे रोड़ पर देखा गया है।

इस सूचना पर हम पुलिस वालो ने अभियुक्त को कटियारा फार्म के पास स्थित सदन मार्केट की टीनशेड के पास से घेरकर पकड़ लिया तथा नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम **विकास पुत्र हरिश्चन्द्र रावत निवासी ग्राम गुलरहिया मजरा रहटा थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष** बताया।

अभियुक्त उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुये प्रातः समय करीब 03.35 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **01 अदद लाइसेन्सी रिवाल्वर (संख्या FG27455) व 05 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर व 6600/- रूपये** नगद **(मुकदमाती)** बरामद हुआ।

जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिवारीजनो को दी गयी। अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय में रिमाण्ड हेतु भेजा जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.विकास पुत्र हरिश्चन्द्र रावत निवासी ग्राम गुलरहिया मजरा रहटा थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष

03-बरामदगीः-

- 01 अदद लाइसेन्सी रिवाल्वर (संख्या FG27455)
- 05 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर
- 6600/- रूपये (मुकदमाती) नगद

04-जामातलाशीः-

- 01 अदद एण्ड्रायड मोबाइल रियलमी 12

05-गिरफ्तार करने वाली थाना रहीमाबाद की पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 उमेश यादव थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

2.उ0नि0 संदीप कुमार थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

3.उ0नि0 इन्द्रजीत सिंह थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

4.आरक्षी देशराज थाना रहीमाबाद कमिश्नरेट लखनऊ

5.आरक्षी शैलेन्द्र थाना रहीमाबाद जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट,लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1899

दिनांक:-07.08.2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- सरोजनीनगर

- **फेक बेबसाइट बनाकर षड्यन्त्र करके साइबर धोखाधडी करके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढाने तथा उसमें बीमा जैसे किसी प्लान के एक्टिव होने का झाँसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग का किया गया सफल अनावरण ।**
- **गिरोह के 02 शातिर अभियुक्तों को दिल्ली राज्य से किया गया गिरफ्तार ।**
- **गैंग के सदस्यो ने ऑनलाइन फ्रॉड के माध्यम से कई लोगो को ठगी का शिकार बनाया है।**
- **अभियुक्तों से 25 अदद मोबाइल फोन, 24 सिमकार्ड, 01 अदद लेपटॉप, 41250 रूपये नगद व राउटर बरामद किया गया ।**
- **थाना सरोजनीनगर व साइबर सेल पुलिस की सफलता ।**

कार्यवाही–

थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम व साइबर क्राइम सेल टीम के संयुक्त अभियान के तहत फर्जी बेबसाइट बनाकर लोगों को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढाने व उसमें बीमा जैसे किसी प्लान के एक्टिव होने का झांसा देकर लिंक भेजकर क्रेडिट कार्ड का ओटीपी आदि की जानकारी प्राप्त कर ऑनलाइन धोखाधडी करके ठगी करने वाले गिरोह का अनावरण किया गया । गिरोह के 02 सदस्यों **1.राहुल लखेडा** पुत्र राम चन्द्र लखेडा निवासी सी 239 हरिनगर पार्ट 2 जैतपुर बदरपुर साउथ दिल्ली उम्र 28 वर्ष। **2.विकास कुमार** पुत्र गुमान सिंह नि0 डी 22 गली नं0 1 ओमनगर मीठापुर थाना जैतपुर बदरपुर साउथ दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष को **ओमनगर मीठापुर गली नं0 01 मकान सं0 डी 22 नई दिल्ली** से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गयी।

घटना का विवरण: -

दिनांक 24.06.2025 को वादी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 नौमी लाल नि0 बाग नं0 02 बेहसा थाना सरोजनीनगर लखनऊ के द्वारा सूचना दी गयी कि वादी को अज्ञात मोबाइल धारक के द्वारा फोन करके वादी से कार्ड बन्द करने के सम्बन्ध में सूचना मांगने के नाम पर वादी से पैन कार्ड नं0, ओटीपी इत्यादि पूछकर वादी के क्रेडिट कार्ड से 160432/- रुपये की फ्लिपकार्ट से खरीददारी कर ली गयी है । उक्त सूचना प्राप्त होने पर थाना सरोजनीनगर पर मु0अ0सं0 215/2025 धारा 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियोग के सफल अनावरण एवं अभियुक्तो की तलाश हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिसमें साइबर सेल को भी लगया गया । इन टीमों द्वारा मैनुअल व टैक्निकल साक्ष्यो के आधार पर नई दिल्ली स्थित मीठापुर में गली नं0 02 मकान नं0 डी 22 से घटना में संलिप्त 02 शातिर अभियुक्तगण को दिनांक 06.08.2025 को गिरफ्तार करते हुए भारी संख्या में डिजिटल उपकरण बरामद किये गये।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि ये लोग मिलकर आम लोगों को कॉल करके साइबर ठगी करते हैं । इस तरह की ठगी के लिये ये लोग बैंक के नाम से एक फेक बेबसाइट व फेक एप्लीकेशन बनवाते हैं । तथा लोगों को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढाने अथवा उसमें बीमा जैसे किसी प्लान के एक्टिव होने का झांसा देते हैं ।झाँसे में लेने के बाद उन लोगों को फेक बेबसाइट/एप्लीकेशन का (APK) लिंक भेजते हैं तथा उस लिंक को ओपन करके क्रेडिट कार्ड का डेटा भरने को कहते हैं । जब लोग उसमें डेटा भर देते हैं तो इन लोगों को सारी जानकारी मिल जाती है ।

अन्त में ओटीपी की जानकारी प्राप्त होते ही ये लोग उस क्रेडिट कार्ड के पैसों से आनलाइन मोबाइल आर्डर कर देते हैं। मोबाइल प्राप्त करके उसे मार्केट से कम दामों पर बिल के साथ बेच देते हैं। इस तरह हमने कई लोगों को शिकार बनाया तथा लाखों रुपयों की ठगी की गयी है। उक्त सम्बन्ध में साइबर टीम के द्वारा साइबर पोर्टल के अवलोकन व बरामद लैपटाप व मोबाइल से जानकारी करने पर साइबर पोर्टल पर साइबर ठगी की कई शिकायतें आम जनता द्वारा पंजीकृत करायी गयी हैं।

प्रकाश में आयी शिकायतों के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों की जानकारी की जा रही है। शिकायतकर्ताओं से कई लाख की धोखाधडी जालसाजों द्वारा की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण—

1.राहुल लखेडा पुत्र राम चन्द्र लखेडा निवासी सी 239 हरिनगर पार्ट 2 जैतपुर बदरपुर साउथ दिल्ली उम्र 28 वर्ष।
शिक्षा- 11 वीं कक्षा

2.विकास कुमार पुत्र गुमान सिंह नि0 डी 22 गली नं0 1 ओमनगर मीठापुर थाना जैतपुर बदरपुर साउथ दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष। व्यवसाय- माली, शिक्षा- इन्टरमीडिएट

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –

राहुल लखेडा:–

01. मु0अ0सं0 मु0अ0सं0-468/2020 धारा- 429,436,364,302,420,201,34,419,467,471,120बी आईपीसी थाना सूरजकुंड, जनपद फरीदाबाद, हरियाणा
02. मु0अ0सं0 215/2025 धारा- 318(4)/319(2)/338/336(3)/340(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ।

अभियुक्त विकास के अपराधिक इतिहास की जानकारी हेतु डीसीआरबी को रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

अनावरित अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0 215/2025 धारा318(4)/319(2)/338/336(3)/340(2)बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ।

गिरोहा का मॉड्स ऑपरेन्डी-

अभियुक्तगण से व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि ये लोग आपस मे मिलकर हम लोग बैंक के नाम से एक फेक बेबसाइट व फेक एप्लीकेशन बनवाते हैं। तथा लोगों को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढाने अथवा उसमें बीमा जैसे किसी प्लान के एक्टिव होने का झांसा देते हैं। झासे में लेने के बाद उन लोगों को फेक बेबसाइट/एप्लीकेशन का लिंक भेजते हैं तथा उस लिंक को ओपन करके क्रेडिट कार्ड का डेटा भरने को कहते हैं । जब लोग उसमें डेटा भर देते हैं तो हम लोगों को सारी जानकारी मिल जाती है। अन्त में ओटीपी की जानकारी प्राप्त होते ही ये लोग उस क्रेडिट कार्ड के पैसों से ऑनलाइन मोबाइल आर्डर कर देते हैं। मोबाइल प्राप्त करके उसे मार्केट से कम दामों पर बिल के साथ बेच देते हैं। इस तरह इन्होने कई लोगों को शिकार बनाया तथा लाखों रुपयों की ठगी की गयी है।

बरामदगी का विवरण –

1. 25 अदद मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी के।
2. 01 अदद लैपटाप,
3. 02 अदद राउटर।
4. 24 अदद सिमकार्ड (भिन्न- भिन्न कम्पनी के)।
5. 41250/- रुपये नगद ।
6. 01 अदद प्रिन्टर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- **थाना सरोजनीनगर पुलिस व साइबर क्राइम सेल की संयुक्त टीम कमिश्नरेट लखनऊ।**
- **नोट:- पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु 25000/- के नगद पुरुस्कार से पुरुस्कृत किया गया।**